कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांकः 208 /50/आउशि/शा–1/2019, भोपाल, दिनांक 11/02/2019
प्रति

समस्त प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
मध्य प्रदेश।

विषयः–मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2017–18 के प्रस्ताव भेजने बाबत–पुरस्कार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु निर्देश।

सन्दर्भः–अपर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल कापत्र क्र42/162/2018/38–2,दिनॉक 17.1.19.

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक एफ 10–3/2018/1/4,दिनॉक 04.01.2019 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है,कि पत्र एवं सहपत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तनुसार,

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(वेद प्रकाश)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांकः 209 /50/आउशि/शा–1/2019, भोपाल, दिनांक 11/02/2019
प्रतिलिपिः–

1– अपर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल का पत्र क 42/162/2018/38–2,दिनॉक 17.1.19.के संदर्भ में सूचनार्थ।
2– निज सहायक,आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल।
3– समस्त अतिरिक्त संचालक,क्षेत्रीय कार्यालय,उच्च शिक्षा,मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक: 210 /50/आउशि/शा–1/2019, भोपाल, दिनांक 11/02/2019
प्रति

समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन,भोपाल।

विषय:–मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2017–18 के प्रस्ताव भेजने बाबत–पुरस्कार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु निर्देश।
सन्दर्भ:–अपर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल का पत्र क्र42/162/2018/38–2,दिनॉक 17.1.19.

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक एफ 10–3/2018/1/4,दिनॉक 04.01.2019 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है,कि पत्र एवं सहपत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तनुसार,
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(वेद प्रकाश)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक: 211 /50/आउशि/शा–1/2019, भोपाल, दिनांक 11/02/2019
प्रतिलिपि:–
1– अपर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल का पत्र क 42/162/2018/38–2,दिनॉक 17.1.19.के संदर्भ में सूचनार्थ।
2– निज सहायक,आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

(1)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 42 / 162 / 2018 / 38—2 भोपाल दिनांक 17/1/19

प्रति,
आयुक्त,
उच्च शिक्षा
भोपाल।

128
21-01-19

21-01-19

विषयः—मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2017—18 के प्रस्ताव भेजने बाबत—पुरस्कार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु निर्देश।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 10—3/2018/1/4 दिनांक 04.01.2019 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग

A/DG
22/1/2019

कार्यालय
आयुक्त उच्च शिक्षा
21 JAN 2019

22-1-19

R- 33/19/382
15-1-19

महत्वपूर्ण/समय-सीमा

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 10-3/2018/1/4, भोपाल दिनांक 4 जनवरी, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2017-18 के प्रस्ताव भेजने बाबत- पुरस्कार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु निर्देश ।

---00---

म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जुलाई 2017 में प्रकाशित "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नियम 2007" की विस्तृत जानकारी www.gad.mp.gov.in/samman.htm पर प्राप्त की जा सकती है।

2/ वर्ष 2017-18 के मुख्य मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रदेश स्तर के दो प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 01 जनवरी 2019 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 फरवरी 2019 नियत है। विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त होने वाले व्यक्ति **(Individual)** /दल **(Team)** संस्था/**(Institution)** पुरस्कारों के आवेदन पत्रों के संबंध में पुरस्कार नियम के पैरा-2 (1) (2) के अनुसार वर्ष 2018 में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार पूर्व वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) तक आवेदकों द्वारा किए गए कार्यो के लिए ही दिया जाएगा। अतः उक्त अवधि के कार्य/कार्यो के संबंध में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को ही विचार क्षेत्र की परिधि में लिया जावे । विज्ञापन के संदर्भ में पुरस्कार नियमों के प्रावधान अनुसार आपका ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध है कि उक्त पुरस्कार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

(1) जिले के सभी विभागों को विज्ञापन के विषय मे अवगत कराकर प्रचारित किया जावें।

(2) विज्ञापन में दी गई समय सीमा के भीतर प्राप्त हुए व्यक्ति **(Individual)** /दल**(Team)** संस्था/**(Institution)** पुरस्कारों के आवेदन पत्रों को कार्यालय में इस प्रयोजन के लिये रखे जाने वाले रजिस्टर क्रमवार दर्ज किया जावे। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।

33/19
14-1-19

1431

14 JAN 2019

3

(3) पुरस्कार नियम 6 (3) के अनुसार श्रेणी "क" के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें विभागाध्यक्ष के अलावा तीन वरिष्ठ अधिकारी सहयोजित किए जाएगे । यह स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त प्रविष्टियों में से अधिकतम तीन प्रविष्टियों का चयन कर चयनित प्रविष्टि अनुशंसा सहित दिनांक 15 मई 2019 के पूर्व अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगी । अनुशंसा भेजते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुशंसित प्रतिभागियों के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच/आपराधिक मामला/गंभीर कदाचरण की कोई शिकायत प्रचलित न हो।

(4) पुरस्कार नियम 6 (4) के अनुसार श्रेणी "ख" के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रविष्टियों के स्क्रीनिंग के लिए सम्भागायुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सम्भाग के पुलिस महानिरीक्षक, वन संरक्षक, संभाग में पदस्थ दो कलेक्टर, जिन्हें संभागायुक्त सहयोजित करे, सदस्य होंगे । संभागायुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त राजस्व अथवा विकास समिति के संयोजक सदस्य होंगे । प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण कर सम्भाग स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी अधिकतम 05 प्रविष्टियों को अपनी अनुशंसा सहित अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15 मई 2019 तक प्रेषित करेगी। अनुशंसा भेजते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि अनुशंसित प्रतिभागियों के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच/आपराधिक मामला/गंभीर कदाचरण की कोई शिकायत प्रचलित न हो।

3/ विज्ञापन के संदर्भ मे श्रेणी "क" एवं श्रेणी "ख" के पुरस्कारों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूलतः अथवा बिना स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के भेजे गए आवेदन पत्रों पर नियमों के परिप्रेक्ष्य मे कोई कार्यवाही संभव नही हो पाएगी।

4/ दिनांक 15 मई 2019 के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया जाना संभव नही होगा । विलम्ब तथा अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति, दल, संस्था पुरस्कार के लिए वंचित रह जाते हैं तो इसका उत्तरदायित्व आवेदक/जिला/संभाग कार्यालय एवं संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा। अतः नियत समयावधि का विशेष ध्यान रखा जावे ।

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग